आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 41/12** **जय प्रकाश प्रसाद बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, सदर) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के आदेश ज्ञापांक 336/आ0 दिनांक 3.3.12 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 15.11.11 को जॉच दल के द्वारा जय प्रकाश प्रसाद, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 106/07, पंचायत–बेदौली, प्रखंड–वनियापुर की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में निम्नांकित अनियमितता पायी गयी: 1. जॉच के समय पूर्वाह्न 11.30 बजे आपकी दूकान बंद पायी गयी, जिस कारण संबंधित पंजियों की जॉच नहीं की जा सकी। 2. कतिपय बी.पी.एल कूपनधारी उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी कि उन्हें दो माह में एक बार खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक 36 दिनांक 4.1.12 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति	

को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलकर्त्ता दिनांक 15.11.11 को पूर्वाह्न 10.00 बजे अचानक दस्त होना प्रारंभ हो गया, जिस कारण उन्हें दूकान बंद कर घर जाना पड़ा। दवा खाकर आराम करने के लिए वे बिस्तर पर लेटे तो उन्हें निन्द आ गयी और वे संध्या 7.00 बजे से सोते रह गए। अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें दूकान बंद करके अपने घर आना पड़ा, जिसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं। परिवार में किसी अन्य पुरूष सदस्य के नहीं होने की वजह से संबंधित पदाधिकारियों को ससमय इसकी सूचना देना संभव नहीं हो पाया। जहाँ तक बी.पी.एल. कूपनधारियों को एक माह का खाद्यान्न आपूर्ति किए जाने का आरोप है। उस संबंध में कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा उनकी दूकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को कूपन के आधार पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति ससमय निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में की जाती है तथा माह के अंत में प्राप्त कूपन को प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा किया जाता है। अपीलार्थी से स्थानीय कुछ ग्रामीणों की दुश्मनी रहने की वजह से गलत आरोप बिना किसी साक्ष्य के लगाया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश अपने आप में मुखर आदेश नहीं है। जाँच के कम में दूकान के बंद पाए जाने की स्थिति में यह उचित

था कि अपीलार्थी से उसके दूकान से संबंधित कागजातों एवं पंजी की माँग कर जाँच की जाती एवं यदि जाँच के क्रम में अनियमितता पायी जाती, तो उनके विरूद्व कोई कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, जिससे उनके द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है। बी.पी.एल. योजना के किस कूपनधारी उपभोक्ता के द्वारा अपीलक्त्तर्ता के विरूद्व शिकायत की गयी। इससे संबंधित कोई भी स्पष्ट विवरणी कारणपृच्छा में या पारित आदेश में अंकित नहीं है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अपीलकर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में दूकान के बंद किए जाने की सूचना नियंत्री पदाधिकारी को अवश्य दें एवं किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर दूकान का संचालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 56 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपि:—अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
29/1/15